भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

~~~~~~~~~

सं.सीप्ज़ सेज़/न्यू सेज़/पीएन/331/2011-12 | 10597 **दिनांक 08 जुलाई, 2015**

परिपत्र सं. 55 /2015

विषयः- सेज़ नियमावली, 2006 के अधीन पहचान पत्रों का जारी किया जाना।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है तथा क्षेत्र में प्रवेश को सेज अधिनियम, 2005 की धारा 46 तथा सेज नियमावली, 2006 के नियम 70 के अधीन जारी किए जाने वाले पहचान पत्रों के जरिए नियंत्रित किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकों तथा यूनिटों के कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए सभी सेजों (सीप्ज़-सेज़ को छोड़कर) के विनिर्दिष्ट अधिकारियों को सेज विकासकों तथा यूनिटों को कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करने की शक्ति प्रत्योजित की गई है।

अतएव सभी सेज यूनिटों तथा विकासकों (सीप्ज़-सेज़ को छोड़कर) को सूचित किया जाता है कि वे सेज नियमावली, 2006 के फार्म “के” में यथानिर्धारित फॉर्मेट में संलग्न फॉर्मेट के विवरण के साथ संबंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी को पहचान पत्र प्रस्तुत करें। सेज़ विकासक / यूनिट यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे पहचान पत्र जिनकी अवधि समाप्त हो गई हो अथवा जो पुराने हों, विनिर्दिष्ट अधिकारी को सरेंडर कर दिए जाएं ताकि उनका दुरूपयोग न किया जा सके।

(पी. एस. रामन)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

अनुलग्नक - यथोपरि

प्रतिलिपिः-

1. विकास आयुक्त सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी यूनिट / विकासक / विनिर्दिष्ट अधिकारी (सीप्ज़-सेज़ को छोड़कर)
2. विकास आयुक्त सीप्ज़ क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी
~~~~~~~~~

फार्म - के
स्थायी पहचान पत्र
(देखें नियम)

फोटो

क्रमांक **जारी करने की तारीख** **तक वैध**

1.

क. यूनिट का नाम (स्थायी फोटो पास होने की स्थिति में)

ख. संविदाकार का नाम (अस्थायी फोटोपास) तथा होने की स्थिति में लाइसेंन्स नं. के साथ पता

विकास आयुक्त के हस्ताक्षर.............

अनुदेश

1. पासधारी को क्षेत्र के अंदर रहने के दौरान पास इस प्रकार धारण किया जाए यह दिखाई पड़े।
2. यह पास अहस्तांतरणीय है।
3. सुरक्षा तथा सीमाशुल्क स्टाफ के मांगने पर यह पास दिखलाया जाए।
4. ____________गेट पर पासधारी तथा उसके वाहन की सुरक्षा जांच की जा सकती है।
5. पास के खोने की सूचना सुरक्षा अधिकारी ___________ को तत्काल दी जाए।
6. यह पास समाप्ति तिथि अथवा व्यक्ति के पास हेतु अपात्र होने पर यूनिट संविदाकार के माध्यम से सुररक्षा अधिकारी को सरेंडर किया जाएगा।